न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

विविध राजस्व अपील वाद सं0– 01/2013–14

प्रताप डुंगडुंग (मृत) .... अपीलार्थी।
प्रतिमा डुंगडुंग

बनाम

इग्नेश डुंगडुंग (मृत) .... उत्तरवादी।
रोसालिया सोरेंग

आदेश

25.01.2024

अपीलार्थी प्रताप डुंगडुंग, पिता स्व0 पौलुस डुंगडुंग, ग्राम + थाना –ठेठईटांगर, जिला – सिमडेगा ने अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या 05/ 2001–02 में पारित आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया है। इस अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा – 5 के अधीन विलम्ब को क्षांत करने हेतु आवेदन भी दाखिल किया है। दिनांक 04.07.2013 को इस अपीलवाद की सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि मौजा ठेठईटांगर, थाना – ठेठईटांगर के खाता नं0 28 प्लॉट नं0 2946 रकबा 0.15 एकड़ से संबंधित है। विवादित भूमि से संबंधित एस0ए0आर0 वाद संख्या 06/2014–15 में दिनांक 27.11.2020 को अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया कि अपीलार्थी प्रताप डुंगडुंग की मृत्यु दिनांक 01.05.2018 को हो गई है, फलस्वरूप उनकी पत्नी प्रतिमा डुंगडुंग को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। आवेदन के साथ विलंब को क्षांत करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा – 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस प्रकार विपक्षी इग्नेश डुंगडुंग की भी मृत्यु दिनांक 25.06.2017 को हो चुकी है तथा उनके स्थान पर उनकी पत्नी रोसालिया सोरेंग को पक्षकार (उत्तरवादी) बनाये जाने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदन के साथ विलंब को क्षांत करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा – 5 के तहत आवेदन भी दाखिल किया गया है।

दिनांक 16.08.2021 को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा अपीलार्थी के सिक्मी रैयत होने का आधार तथा Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Rules, 1948 (BPPHT) के अंतर्गत प्राश्रय प्राप्त रैयत की अहर्त्ता के बिन्दुओं पर अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा से एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन/मन्तव्य की मांग की गई। इसके अनुपालन में अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा ने अपने पत्रांक 113/रा0, दिनांक 27.01.2022 को प्रतिवेदन/मन्तव्य के साथ अभिलेख वापस किया है। अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा के प्रतिवेदन/मन्तव्य की प्रति अपीलार्थी एवं उत्तरवादी को उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही, उभय पक्ष को सुनवाई हेतु दिनांक 18.02.2022 को तिथि निर्धारित की गयी। उभय पक्ष लगातार कई तिथियों पर अनुपस्थित रहे। दिनांक 02.01.2024 को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए बहस किया गया। उत्तरवादी सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर अनुपस्थित रहे।

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि मौजा – ठेठईटांगर, थाना – ठेठईटांगर के खाता नं0 28 प्लॉट नं0 2946 रकबा 0.15 एकड़ से संबंधित है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत खड़िया जाति के सदस्य हैं जो Chotanagpur Tanancy Act, 1908 के तहत् शासित होते हैं। विवादित भूमि अपीलार्थी की खतियानी भूमि है एवं अपीलार्थी के परदादा किशुन खड़िया के नाम पर दर्ज है। विवादित भूमि को अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा CNT Act की धारा–46 की शर्तों का उल्लंघन करते हुए द्वितीय पक्ष के नाम से बासगीत भूमि बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान कर वासगीत पर्चा निर्गत किया है, जो कि विधि–सम्मत नहीं है। विज्ञ अधिवक्ता ने यह बताया कि द्वितीय पक्ष मौजा – ठेठईटांगर खरवागढ़ा के मूल निवासी हैं तथा खाता संख्या – 325 रकबा 3.25 एकड़ एवं खाता संख्या – 367/1 रकबा 5.10 एकड़ के रैयत सिरिल खड़िया पिता धुमा खड़िया का पोता है। इस दावे के समर्थन में खतियान एवं ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति दाखिल की गई है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि द्वितीय पक्ष विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। BPPHT, 1947 की धारा–2(i) के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को प्रोपराईटर, टेन्युर होल्डर, अण्डर टेन्युर होल्डर या महाजन नहीं होना चाहिए तथा प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के पास वास भूमि के अलावे कोई भूमि नही होना चाहिए तथा यदि भूमि हो भी तब एक एकड से अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही, BPPHT, Act की धारा–2(d) एवं (j) का उल्लेख करते हुए वासगीत पर्चा रैयत की सहमति से ही रैयत के मकान सहन पर निवास के लिए विशेष संविदा के अधीन दिया जा सकता है तथा ऐसे व्यक्ति वास भूमि के उपयोग के लिए किराया का भुगतान करने का दायी होता है। धारा–4 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ऐसे किराया का भुगतान के लिये विशेषाधिकार व्यक्ति तथा भूमि के मूल भू–स्वामी के बीच सहमति या इनके बीच किराये के संबंध में कोई संविदा हो सकती है, किन्तु जहां संविदा की गई है वहां पक्षपात रहित तथा असाम्यपूर्ण किया हुआ होना है। ऐसा किराया समाहर्त्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17–A की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन निर्धारित करने का प्रावधान है। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का उसके द्वारा धारित वास भूमि में किसी समय एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी अभिधृत होगा।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने वासगीत पर्चा बन्दोवस्ती वाद संख्या 05/2001–02 में अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर द्वारा पारित आदेश के आदेश फलक तथा हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए बताया कि Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Rules, 1948 के नियम–(5) के अनुसार हल्का कर्मचारी को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। जांच प्रतिवेदन स्वयं कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अंचल निरीक्षक या कल्याण पर्यवेक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा समर्पित की जा सकती है। इस वाद में हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष को वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जो विधि–सम्मत नहीं है। साथ ही, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने वासगीत पर्चा वंदोवस्ती वाद संख्या 05/2001–02 में निर्गत पर्चा के कॉलम–8 में वर्णित सिकमी रैयत के संबंध में कहा कि द्वितीय पक्ष सिकमी रैयत है तथा सिकमी रैयत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का दावा नहीं कर सकता है। वासगीत पर्चा के कॉलम–6

Scanned by CamScanner

मे वर्णित वाद की भूमि की प्रकृति के संदर्भ में कहा गया कि द्वितीय पक्ष को वासगीत पर्चा के माध्यम से हस्तांतरित भूमि प्रथम पक्ष के घर–बाड़ी की जमीन है, जिसका वर्णन खाता संख्या 28 के खतियान के कॉलम–8 में है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने द्वितीय पक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होने के आधार पर निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने, दाखिल दस्तावेंजो के अवलोकन, तथा अभिलेख में उल्लेखित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act, 1947 की धारा 2(i) (a) एवं धारा 2(i) (b) से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर के द्वारा CNT Act की धारा–46 का उल्लंघन करते हुए द्वितीय पक्ष के पक्ष में नियम/अधिनियम के विरूद्ध वासगीत पर्चा अंचल वाद संख्या 05/2001–02 द्वारा निर्गत किया गया है।

अतएव अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर द्वारा BPPHT वाद संख्या 05/2001–02 (इग्नेश डुंगडुंग पिता स्व0 हेरमोस डुंगडुंग, सा0 – ठेठईटांगर, थाना – ठेठईटांगर, जिला – सिमडेगा को मौजा – ठेठईटांगर, थाना – ठेठईटांगर के खाता नं0 28 प्लॉट नं0 2946 रकबा 0.15 एकड़ के लिए निर्गत वासगीत पर्चा विधि–सम्मत नहीं है। तदनुसार प्रसंगाधीन वासगीत पर्चा को रद्द किया जाता है एवं अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)
उपायुक्त,
सिमडेगा।

(हस्ताक्षर) 25.1.24
उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by Ajay Kumar Singh
Date: 2024.06.29 13:34:08 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned by CamScanner